(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 170/2017 जीसीएमएस नम्बर :– 2017/00216

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. सुण्डा उम्र 65 साल जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. रामकिशन पुत्र स्व. सुण्डा उम्र 50 साल जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..............वादीगण

–ब ना म–

1. ब्रहम्प्रकाश
2. वेदप्रकाश पुत्रान स्व. भाताराम
3. पुष्पा पत्नी स्व. भाताराम समस्त जाति अहीर निवासी नावता की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
4. शकुन्तला पुत्री स्व. भाताराम जाति अहीर निवसी नावता की ढाणी तह. बुहाना जि. झुन्झुनू (राज.) हाल आबाद
5. ईन्द्राज
6. अमरसिंह
7. श्योताज पुत्रान स्व. नानड़ समस्त जाति अहीर निवासीगण नावता की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
8. श्रीमति चान्दा पत्नी स्व. शेरसिंह जाति अहीर नि. नावता की ढाणी त0 बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
9. धनश्याम
10. सुबेसिंह पुत्रान स्व. डेडा जाति अहीर निवासी नावता की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
11. लाली पुत्री स्व. डेडा
12. राजेश पुत्री स्व. डेडा जाति अहीर निवासीगण नावता की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
13. रामकुमार पुत्र स्व. श्रीराम जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
14. बुधराम पुत्र जगली
15. दयानन्द पुत्र स्व. उमराव नवीन जंगली समस्त जाति अहीर निवासी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
16. खुशीराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

17. अमीलाल
18. जगदीश पुत्रान स्व. रामनारायण समस्त जाति अहीर निवासीगण नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
19. ग्यारसी स्व. गिरधारी जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
20. चन्दो पुत्री स्व. गिरधारी जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
21. उर्मीला पुत्री स्व. गिरधारी जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
22. कैलाश
23. लीलाराम पुत्रान स्व. गिरधारी समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
24. हणमान
25. जगदीश
26. लालचन्द पुत्रान स्व. जयनारायण समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
27. फुलाराम
28. बृजलाल
29. अमीलाल
30. सुबेसिंह पुत्रान स्व. गुला समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
31. चन्द्रपति पत्नी स्व. जगमाल
32. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. जगमाल समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
33. बबली पुत्री स्व. जगमाल जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
34. अमरसिंह
35. विजयसिंह पुत्रान स्व. देवा जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
36. कमला पुत्री स्व. शंकर
37. श्रवण पुत्री स्व. शंकर
38. चन्द्रपति पुत्री स्व. शंकर
39. इन्द्रावती पुत्री स्व. शंकर
40. लाली पुत्री स्व. शंकर
41. उगंन्ता पुत्री स्व. शंकर
42. चमेली पत्नी स्व. शंकर
43. सत्यपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

44. तेजपाल पुत्रान स्व. शंकर जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
45. रघुवीर
46. लीलाराम पुत्रान स्व. सोनिया समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
47. धर्मपाल
48. कृष्णकुमार पुत्रान स्व. डालू समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
49. रेशमी पत्नी स्व. सहीराम
50. विक्रम
51. प्रमोद पुत्रान स्व. सहीराम समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
52. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बुहाना

..................प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति –

1. श्री विकाश मिश्रा अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. श्री विजयपाल यादव अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 12, 13, 14 व 15 के वारीसान तथा प्रति.सं. 16, 18 लगायत 21 की ओर से तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

:: निर्णय :: दिनांक – 5/5/25

वादी का वादपत्र रहा किः–

1. वादी की ओर से हस्तगत वाद बाबत खाता विभाजन , स्थाई निषेधाज्ञा संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि वाके ग्राम नावता पटवार हलका पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 अनुसार भूमि खाता संख्या 73 के हाल ख.न 636 रकबा 0.16 है. ख.न. 637 रकबा 0.12 है. ख.न. 637 रकबा 0.12 है. ख.न. 638 रकबा 0.12 है. ख.न. 639 रकबा 0.11 है. ख.न. 640 रकबा 0.12 है. ख.न. 641 रकबा 0.17 है. कुल किता 6 कुल रकबा 0.80 है. भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादी [illegible] लगायत 23 सयुक्त खातेदार है जिसका वार्षिक लगान 14.12 रूपये [illegible] अनुसार खाता संख्या 63 के ख.न. 642 रकबा 0.40 है. ख.न. 644 रकबा 0.[illegible] है. ख.न. 645 रकबा 0.22 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है. के खातेदार वादीग[illegible] व प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 48 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसका वार्षिक लगान 12.97 रूपये सालाना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि वाके ग्राम नावता की ढाणी पटवार हल्का पचेरी कला स्थित हाल जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 19 के ख.न. 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1519, 1520, 2667, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674 कुल किता 17 कुल रकबा 3.70 है मे वादीगण का हिस्सा 1/16 भाग तथा प्रतिवादी 7 लगायत 10 का हिस्सा भी 1/16 भाग है उसमें वादीगण ने अपने हिस्सा मे बसासत के लिये भूमि ज्यादा है उसके बदले मे वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे अपने हिस्सा मे 0.10 है हिस्सा कम है। उपरोक्त भूमि वाके ग्राम नावता की ढाणी का खाता विभाजन का दावा माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 विभाजन प्रस्ताव मे निर्णित किया जावे।

3. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं. 1 में वर्णित भूमि ग्राम नावता स्थित खाता संख्या 73 मे वादीगण का हिस्सा 1/8 है ग्राम नावता स्थित खाता संख्या 63 में वादीगण का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है और हिस्सा अनुसार वादीगण कब्जे काश्त है उसी अनुसार एवं हिस्सा अनुसार वादीगण का खाता विभाजन कर वादीगण का अलग से लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश दिया जावे।

4. यह कि वाद वर्णित वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि ग्राम नावता की आबादी के पास है प्रतिवादी संख्या 12 व 13 उक्त वर्णित कृषि भूमि में बिना विभाजन किये निर्माण कार्य कर रहा है। बिना विधिवत खाता विभाजन हुए निर्माण कार्य करने से वादी को भारी हक तलफी है जिसका मुद्रा में मुल्याकन नही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 निर्माण कार्य करने से वादीगण को इतनी क्षति होगी जो किसी भी मद से पूर्ति नही की जा सकती है इसलिए प्रतिवादी सं. 12 व 13 को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाने के आदेश दिया जावे।

5. यह कि वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष मे है तथा प्रतिवादीगण की नाजायज मन्शा मे उनके सफल होने पर वादीगण को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति किसी रूप में होना असभंव है इसलिये प्रतिवादीगण को वादीगण के हक अधिकारो व हिस्से के उपयोग व उपभोग मे बाधा नही पहुचाने व रिकार्ड मे वादीगण के विरूद्व कोई बदलाव करवाये जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु उक्त वाद सेवामें पेश है।

6. यह कि आधार विवाद दावा बाबत खाता विभाजन के लिये वादीगण का खाता सख्या 73 मे हिस्सा 1/8 भाग खाता संख्या 63 मे हिस्सा 1/4 भाग मे वादीगण का हिस्सा अलग से खाता विभाजन किया जावे और जब तक [illegible] जन नही हो जाता है प्रतिवादी संख्या 12 व 13 कोई निर्माण [illegible] 12 व 13 संयुक्त खातेदारी मे बिना विधिवत खाता विभाजन [illegible] कार्य करने से पैदा हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को मना कि[illegible] तो वादीगण को जबाब दिया है कि लठ जोर पर यह निर्माण कार्य करूगा इसलिये यह दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

7. यह कि दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये कोई मियाद नही है इसलिये माननीय न्यायालय मे सावधि में पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). कि वाके ग्राम नावता पटवार हल्का पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 अनुसार भूमि खाता संख्या 73 के खसरा ख.न 636 रकबा 0.16 है. ख.न. 637 रकबा 0.12 है. ख.न. 637 रकबा 0.12 है. ख.न. 638 रकबा 0. 12 है. ख.न. 639 रकबा 0.11 है. ख.न. 640 रकबा 0.12 है. ख.न. 641 रकबा 0.17 है. कुल किता 6 कुल रकबा 0.80 है. वादीगण का हिस्सा 1/4 भाग तथा खाता संख्या 63 के ख.न. 642 रकबा 0.40 है. ख.न. 644 रकबा 0.08 है. ख.न. 645 रकबा 0.22 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है. में वादीगण का हिस्सा 1/4 भाग का खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर अलग से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश देने की कृपा करे।

प्रतिवादी सं. 12, 13 एवं प्रति. सं. 14, 15 के वारीसान तथा प्रति.सं. 16 व 18 लगायत 21 की ओर से जबाब दावा निम्न प्रकार से पेश किया गया है किः–

1. यह के वाद पत्र के खण्ड स०1 में वरणित जमाबन्दी संख्या 73 के ख0 न0 636 रकबा 0.16 है0 ख0 न0 637 रकबा 0.12 है0 ख0 न0 638 रकबा 0.12 है0 ख0 न0 639 रकबा 0.11 है0 ख0 न0 640 रकबा 0.12 हैं0 ख0 न० 641 रकबा 0.17 है0 में वर्णित विवरण सत्य व सही है।तथा खाता स0 63 के ख0 न0 642, 644, 645 का अंकन जैस दर्ज किया गया है। वैसा स्वीकार नहीं है। उक्त नम्बरान में दावे के समस्त पक्षकारान खातेदार है। परन्तु जो हिस्से दर्ज किये गये है वो गलत दर्ज किये गये है। जिसके लिए जबाब दावे के बाद अलग से प्रतिदावा पेश किया जा रहा है ।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 2 प्रति0 स0 12 व 13 से संबंधित नहीं है इसलिए उतर की आवश्यकता नहीं है।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 3 गलत है स्वीकार नही है। भू प्रबंधक विभाग ने हाल ख0 न0 642, 644, 645 गत ख0 न0 187, 188, 189 से बनाये है। उनमें पक्षकारान का व वादीगण का जो हिस्सा दर्ज किया है वह गलत दर्ज किया है। हाल ख0 न0 642, 644, 645 में पक्षकारान व वादीगण का हिस्सा दुरूस्त होगा। गत ख0 न0 187, 188, 189 में मुला, देवा, शंकर पुत्रान रता ब०हि०ब० 1/10, सोनिया पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/10, दालिया पत्र मनीया हिस्सा 1/10, जयनारायण पुत्र हरनन्द हिस्सा 3/10, शरूपा पुत्र पीरू हिस्सा 3/10 नाथा पुत्र बीजा हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/5, शरूपा पुत्र पीरू हिस्सा 1/5, जयनारायण पुत्र हरनन्द हिस्सा 1/5, सोनिया पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/5, दालिया पुत्र मनीया हिस्सा 1/5 रिकार्ड रहा है। विवादीत भूमि में नाथा पुत्र बीजा का हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/5 ही रहा है। शेष भूमि से इसका कोई संबंध नहीं रहा है। हाल जमाबन्दी में ख0 न0 642, 644, 645 जो भू प्रबंधक विभाग ने बनाये है उनमे रिकार्ड मे फुलाराम, बृजलाल, अमीलाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

(RAS) उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सुबेसिंह पुत्रान मूला, चन्द्रपति पत्नी जगमाल, धर्मेन्द्र पुत्र जगमाल, बबली पुत्री जगमाल हिस्सा 1/ 30, मु0 मुन्नी पत्नी देवा, अमरसिंह, विजय सिंह पुत्रान देवा ब0हि0ब0 1/30, कमला, श्रवण, चन्द्रपति, इन्द्रावति, सीला, उमलता पुत्रीयान शंकर, चमेली पत्नी शंकर, सत्यपाल, तेजपाल पुत्रान शंकर हिस्सा 1/30, रघुबीर, लीलाराम पुत्रान सोनीया हिस्सा 1/10, धर्मपाल, कृष्ण कुमार पुत्रान डालु हिस्सा 1/15, रजनी पत्नी साहीराम, विकम, प्रमोद पुत्रान साहीराम नवीसा डालु हिस्सा 1/30, हनुमान, जगदीश, लालचन्द पुत्रन जयनारायण मु0 नाथी पत्नी जयनारायण हिस्सा 3/10 बुद्धराम पुत्र जंगली, दयानन्द पुत्र उमराव नवीसा जंगली हिस्सा 3/ 20, खुशीराम, गिरधारी, अमीलाल, जगदीश पुत्रान रामनारायण हिस्सा 3/20, भातराम, इन्द्राज, अमरसिंह, श्योताज पुत्रान नानड हिस्सा 4/5, मु0 चांदा पत्नी शेरसिंह हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1 /4, औमप्रकाश, रामकिशन पुत्रान सुण्डा हिस्सा 1/4, डेढा पुत्र नाथा हिस्सा 1/4 रामकुमार पुत्र श्रीराम नवीसा नाथा हिस्सा 1/4, जयनारायण पुत्र हरनन्द हिस्सा 1/5, रघुवीर, लीलाराम पुत्रान सोनीया हिस्सा 1/5 ब0हि0ब0 डालिया पुत्र मनीया हिस्सा 1 /5 कौम अहीर साकिन नावता दर्ज रिकार्ड किया है जो गलत दर्ज किया है। इसमें जहा भातराम, इन्द्राज, अमर सिंह, श्योताज पुत्रान नानड हिस्सा 4/ 5, मु0 चांदा पत्नी शेरसिंह हिस्सा 1/ 5 दर हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/4, औमप्रकाश, रामकिशन पुत्रान सुण्डाराम हिस्सा 1/4, डेढा पुत्र नाथा हिस्सा 1/4, रामकुमार पुत्र श्रीराम नवीसा नाथा हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/ 5 दर्ज होगा। इसके पश्चात दयानन्द पुत्र उमराव नवीसा जंगली, बुद्धराम पुत्र जंगली हिस्सा 1/ 2, खुशीराम, अमीलाल, जगदीश, गिरधारी पुत्रान 1/2 रामनारायण हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/5 दर्ज होगा। जो रिकार्ड में सहवन से अंकित नहीं हुआ। खातेदार अमीलाल फौत हो गया है । उसकी जगह नवनीत पुत्र राजकुमार नवीसा अमीलाल, सुशीला पत्नी राजकुमार दर्ज होगा। शेष खातेदार जयनारायण पुत्र हरनन्द, रघुवीर, लीलाराम पुत्रान सोनिया हिस्सा 1/5 ब0हि0ब0 डालिया पुत्र मनीया कौम अहीर साकिन नावता दर्ज रहेंगे । शरूपा पुत्र पीरू की वंशावली निम्नप्रकार से है।

4. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 4 गलत है स्वीकार नहीं है। विवादीत भुमि का गत ख0 न0 का जो रिकार्ड था उसमें हिस्से अनुसार पक्षकारान का जितना हिस्सा था उसी अनुसार पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। तथा वर्तमान ख0 न0 639, 640 पर प्रति0 स0 12 व 1[illegible] और अपनी वारदिवारी बना रखी है। तथा वादीगण ने ख0 न0 641. पर क[illegible]खा है जिस पर मकान बनाकर आबाद है। जब वादीगण [illegible]कर आबाद है तो प्रति0 स0 12 व 13 को अपने हि[illegible] से वे नहीं रोक सकते।

5. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 5 गलत है स[illegible]ार नहीं है।

6. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। ख0 न0 642, 644, 645 में वादीगण का 1/4 हिस्सा है ही नहीं तो वो 1/4 हिस्से का खाता विभाजन कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

से करवायेगें। वादीगण का उक्त खसरा नम्बरान मे 1/4 हिस्से दर हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/5 अर्थात 1/200 हिस्सा है जिसका वो खाता विभाजन करवा सकते है।

7. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 7 गलत होने से अस्वीकार है।

8. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 8 क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसलिए उत्तर की आवश्यकता नही है।

9. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 9 कोर्ट फीस से संबंधित है इसलिए उत्तर की आवश्यकता नही है।

10. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 10 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है।

11. यह कि वाद पत्र के खण्ड स0 11 स्वीकार है।

अतः जबाब दावा पेश कर अर्जे है कि वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावे।

प्रतिदावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा

1. यह कि वाके ग्राम नावता स्थित गत ख0 न0 187, 188, 189 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार कास्तकार मूला, देवा, शंकर पुत्रान रता ब0हि0ब0 1/10 सोनिया पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/10, डालिया पुत्र मनिया हिस्सा 1/ 10, जयनारायण पुत्र हरनन्द हिस्सा 3/10, शरूपा पुत्र पीरू हिस्सा 3/ 10, नाथा पुत्र बीजा हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/5, शरूपा पुत्र पीरू हिससा 1/5, जयनारायण पुत्र हरनन्द हिस्सा 1/5, सोनिया पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/5, डालिया पुत्र मनीया हिस्सा 1/5 कौम अहीर साकिम नावता दर्ज रहे है।
2. यह कि भू प्रबंधक विभाग ने साबिक ख० न0 187, 188, 189 से हाल ख0 न0 642, 644, 645 बनाये है।
3. यह कि भू प्रबंधक विभाग ने जो रिकार्ड बनाया हुआ है गलत बनाया है। रिकार्ड जो हाल अंकन है वो इस प्रकार से है फुलाराम, बृजलाल, अमीलाल, सुबेसिंह पुत्रान मूला, चन्द्रपति पत्नी जगमाल, धर्मेन्द्र पुत्र जगमाल, बबली पुत्री जगमाल हिस्सा 1/30, मु0 भूरली पत्नी देवा, अमरसिंह, विजय सिंह पुत्रान देवा ब0हि0ब0 1/30, कमला, श्रवण चन्द्रपति, इन्द्रावति, लीला, उगनता पुत्रीयान शंकर, चमेली पत्नी शंकर, सत्यपाल, तेजपाल पुत्रान शंकर हिस्सा 1/30, रघुवीर, लीलाराम पूत्रान सोनीया हिस्सा 1/10, धर्मपाल, कृष्ण कुमार पुत्रान डालु हिस्सा 1/15, रेशमी पत्नी सहीराम, विक्रम, प्रमोद पुत्रान सहीराम नवीरा डालु हिस्सा 1/30, [illegible], जगदीश, लालचन्द पुत्रान जयनारायण मु0 नाथी पत्नी जयनारायण हिस्सा 3/[illegible], [illegible] पुत्र जंगली, दयानन्द पुत्र उमराव नवीरा जंगली हिस्सा 3/20, [illegible], गिरधारी, अमीलाल, जगदीश पुत्रान रामनारायण हिस्सा 3/ 20, भाताराम, इन्द्र[illegible], अमरसिंह, श्योताज पुत्रान नानड हिस्सा 4/5, मु0 वांदा पत्नी शेरसिंह हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/4, औमप्रकाश, रामकिशन पुत्रान सुण्डा हिस्सा 1/4, डेडा पुत्र नाथा हिस्सा 1/4, रामकुमार पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

श्रीराम नवीरा नाथा हिस्सा 1/4, जयनारायण पुत्र हरनन्द हिस्सा 1/5, रघुवीर, लीलाराम पुत्रान सोनीया हिस्सा 1/5 ब0हि0ब0 डालिया पुत्र मनीया हिस्सा 1/5 कौम अहीर साकिन नावता दर्ज रिकार्ड किया है जो गलत दर्ज किया है। इसमें जहा भातराम, इन्द्राज, अमर सिंह, श्योताज पुत्रान नानड हिस्सा 4/5, मु0 वांदा पत्नी शेरसिंह हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/4, औमप्रकाश, रामकिशन पुत्रान सुण्डाराम हिस्सा 1/4, डेडा पुत्र नाथा हिस्सा 1/4, रामकुमार पुत्र श्रीराम नवीरा नाथा हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/5 दर्ज होगा। इसके पश्चात दयानन्द पुत्र उगराव नवीरा जंगली, बुद्धराम पुत्र जंगली हिस्सा 1/2, खुशीराम, अमीलाल, जगदीश, गिरधारी पूत्रान रामनारायण हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/5 दर्ज होगा। जो रिकार्ड में सहवन से अंकित नहीं हुआ खातेदार अमीलाल फौत हो गया है। उसकी जगह नवनीत पुत्र राजकुमार नवीरा अमीलाल, सुशीला पत्नी राजकुमार दर्ज होगा। शेष खातेदार जयनारायण पूत्र हरनन्द, रघुवीर, लीलाराम पुत्रान सोनिया हिस्सा 1/5 ब0हि0ब0, डालिया पत्र मनीया कौम अहीर साकिन नावता दर्ज रहेगें । शरूपा पुत्र पीरू व नाथा पुत्र बीजा की वंशावली जवाबा दावे के खण्ड सं. 3 के अनुसार है।

4. यह कि साबिक ख0 न0 187, 188, 189 में जो खातेदारी पक्षकारान की दर्ज थी उसके अनुसार वर्तमान में फुलाराम, बृजलाल, अमीलाल, सुबेसिंह पुत्रान मुला चन्द्रपति पत्नी जगमाल धर्मेन्द्र पुत्र जगमाल, बबली पुत्री जगमाल हिस्सा 1/30, मु0 भूरली पत्नी देवा, अमरसिंह, विजय सिंह पुत्रान देवा ब०हि०ब० 1/30, कमला, श्रवण, चन्द्रपति, इन्द्रावति, लीला उगनता पुत्रीयान शंकर, चमेली पत्नी शंकर, सत्यपाल, तेजपाल पूत्रान शंकर हिस्सा 1/ 30, रघुवीर, लीलाराम पुत्रन सोनीया हिस्सा 1/10, धर्मपाल, कृष्ण कुमार पुत्रान डालु हिस्सा 1/15, रेशमी पत्नी सहीराम, विकम, प्रमोद पूत्रान सहीराम नवीरा डालु हिस्सा 1/30, हनुमान, जगदीश, लालचन्द पूत्रान जयनारायण मु0 नाथी पत्नी जयनारायण हिस्सा 3/ 10, बुद्धराम पुत्र जंगली, दयानन्द पुत्र उगराव नवीरा जंगली हिस्सा 3/20, खुशीराम, गिरधारी, अमीलाल, जगदीश पुत्रान रामनारायण हिस्सा 3/20, भाताराम, इन्द्राज, अमरसिंह, श्योताज पुत्रान नानड़ हिस्सा 4/ 5, मु0 वांदा पत्नी शेरसिंह हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/4, औमप्रकाश, रामकिशन पुत्रान सुण्डा हिस्सा 1/4, डेडा पुत्र नाथा हिस्सा 1/4, रामकुमार पुत्र श्रीराम नवीरा नाथा हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/10 दर हिस्सा 1/5, दयानन्द पुत्र उगराव नवीरा जंगली, बुद्धराम पुत्र जंगली हिस्सा 1/2, खुशीराम, अमीलाल, जगदीश, गिरधारी पुत्रान रामनारायण हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/5, जयनारायण पूत्र हरनन्द हिस्सा 1/5, रघुवीर, लीलाराम पुत्रान सोनिया हिस्सा 1/5 बवहि०बव, डालिया मनीया हिस्सा 1/5 कौम अहीर साकिन नावता दर्ज होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि भू प्रबंधक विभाग ने जो अंकन जो गलत किया है उसमें प्रति0 स0 12 व 13 का हिस्सा 1/ 2 तथा खुशीराम, अमीलाल, जगदीश, गिरधारी पुत्रान रामनारायण हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 1/5 दर्ज नहीं किया। इसलिए प्रति0 स0 12 व 13 तथा

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रति0 स0 14 ल0 21 खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। इसमें प्रतिवादी स0 12 व 13 का हिस्सा 1/10 तथा प्रति0 स0 14 ल0 21 का हिस्सा 1/10 के खातेदार घोषित होगें।

6. यह कि वाके ग्राम नावता स्थित हाल ख0 न0 636 रकबा 0.16है0 ख0 न0 637 रकबा 0.12है0 ख0 न0 638 रकबा 0.12है ख० न0 639 रकबा 0.11है0 ख० न० 640 रकबा 0.120 ख० न० 641 रकबा 0.17है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.80है0 के खातेदार काश्तकार ब्रहमप्रकाश, वेदप्रकाश पुत्रान भाताराम, मु0 पुष्पा पत्नी स्व0 भाताराम, शकुन्तला पुत्री भाताराम हिस्सा 1/5, इन्द्राज, अमरसिंह, श्योताज पुत्रान नानङराम हिस्सा 3/5, मु0 चान्दा पत्नी शेरसिंह हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/8, औमप्रकाश, रामकिशन पुत्रान सुण्डा हिस्सा 1/8, घनश्याम, सुबेसिंह पुत्रान डेडा, लाली, राजेश पुत्रीयान डेडा हिस्सा ब०हि०ब0 1/8, रामकुमार पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/8, बुद्वराम पुत्र जगली, दयानन्द पुत्र उमराव नवीरा जंगली हिस्सा 3 आना, खुशीराम, अमीलाल, जगदीश पुत्रान रामनारायण हिस्सा 3/4, प्यारसी पत्नी स्व0 गिरधारी, कैलाश, लीलाराम पुत्रान गिरधारी, चन्द्रो, उर्मिला पुत्रीयान गिरधारी बवहि०ब0 1/4 दर हिस्सा 3 आना, हनुमान, जगदीश, लालचन्द पुत्रान जयनारायण हिस्सा 1/8 कौम अहीर साकिन नावता सवंत 2069 ल० 2072 दर्ज रिकार्ड है।

7. यह कि वाके ग्राम नावता सिथत हाल ख0 न0 607 रकबा 0.06है0 ख0 न0 608 रकबा ०.06है0 ख० न० 609 रकबा 0.06है0 खु0 न० 610 रकबा 0.13है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 है० के खातेदार काश्तकार हनुमान, जगदीश, लालचन्द पुत्रान जयनारायण हिस्सा 1/5, रघुवीर, लीलाराम पुत्रान श्योनारायण हिस्सा 1/5, सरबती पत्नी स्व0 डालु, कृष्ण कुमार, धर्मपाल पुत्रान डालु हिस्सा 3/ 20, रेशमी पत्नी सहीराम, विक्रम, प्रमोद पुत्रान सहिराम नवीरा डालु हिस्सा 1/20, खुशीराम, गिरधारी अमीलाल, जगदीश पुत्रान रामनारायण हिस्सा बवहि०ब0 1/10, बुद्धराम पुत्र जंगली दयानन्द पुत्र उमराव नवीरा जंगली हिस्सा 1/ 10, फुलाराम, वृजलाल, सुबेसिंह पुत्रान मुलाराम, चन्द्रपति जगमाल नवीरा मूला हिस्सा 1/15, भूरी देवी पत्नी स्व0 देवा, अमर सिंह विजय सिंह पुत्रान देवा हिस्सा 1/15, चमेली पत्नी स्व0 शंकर सत्यपाल, तेजपाल पुत्रान शंकर हिस्सा 1/15 कौम अहीर साकिन नावता संवत 2069 ल0 2072 दर्ज रिकार्ड है।

8. यह कि विवादीत भामि का बाहमी बंटवारा हो चुका है। परन्तु मिटस एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिदावाकतागण अपनी कास्त की उन्नती करना चाहते है। इसलिए अपनी भूमि का खाता विभाजन ... खाता विभाजन करने हेतु यह प्रतिदावा पेश करना आवश्यक हुआ।

9. यह कि प्रतिदावाकर्तागण ने 10 रोज पूर्व ... 11 व प्रति0 स0 14 ल0 48 को खाता विभाजन हेतु कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं देने से वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

कारण पैदा हुआ। अतः दावा अन्दर मियाद पेश है। वैसे भी कानून में खाता विभाजन, घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

10. यह कि राज० कास्त0 अधि० के तृतीय परिशिष्ट में दावा घोषणात्मक, खाता विभाजन व रिकाड्ड दुरूसती हेतु एक –एक रूपयें कोर्ट फीस पर वाद सहायक कलेक्टर के यहां पैश करना दर्ज है। अतः प्रतिदावा 4 रूपये कोर्ट फीस पर पेश है।

11. यह कि वाद पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से रिकार्ड अपटुडेट है जिसके साथ प्रतिदावाकर्ता का शपथ पत्र भी संलग्न है।

अतः प्रतिदावा पेश कर अर्ज है कि :

(क) कि वाके ग्राम नावता स्थित हाल ख0 न0 642, 644, 645 में से प्रतिदावाकर्तागण को 1/2 दर हिस्सा 1/5 का खातेदार कास्तकार घोषित करे तथा प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 ल0 21 को 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 1/ 5 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे। तथा 3/ 20 दर हिस्सा 1/5 + 1/2 दर हिस्सा 1/5 का खातेदार कास्तकार दावे के प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0स0 16 तथा 18 ल0 21 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे। अर्थात 13/ 50 में से प्रति0स0 12 व 13 को 1/2 तथा प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 ल0 21 को 1/2 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(ख) कि हाल ख० न० 642, 644, 645 में से प्रतिदावाकर्तागण / प्रति0 स0 12 व 13 का 3/20 दर हिस्सा 1/5 + 1/2 दर हेस्सा 1/5 का खातेदार कास्तकार गत रिकाड्डे गत ख0 न0 187, 188, 189 के अनुसार घोषित करते हुऐ 13/50 में से प्रति0 स0 12 व 13 को 1/2 तथा प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 ल0 21 को 1/2 का खाता विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे ।

(ग) कि वाके ग्राम नावता स्थित हाल ख0 न0 636. 637, 638, 639, 640 में से प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति) स० 16 तथा 18 ल0 21 के 3 आना भूमि का खाता विभाजन किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे।

(घ) कि हाल ख० न0 607, 608, 609. 610 में से प्रतिदावाकर्तागण/ प्रति0 स0 12 व 13 के 1/10 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे।

(ड) कि उपरोक्त विवादीत भूमि में से प्रति० स० 12 व 13 /प्रतिदावाकर्तागण का भी खाता विभाजन किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से पाया कि जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 मे जो हिस्से वादीगण व प्रतिवादीगण के दर्ज किये गये है वो पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज नही किया गये है। इस कारण से वादीगण का दावा खारीज योग्य है तथा प्रतिदावाकर्तागण का प्रतिदावा साबित है तथा प्रतिदावाकर्तागण के अधिवक्ता ने अपने

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

खाता विभाजन के अनुतोष को विड्रा किया। केवल पुराने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार अपने हिस्से की घोषणात्मक अनुतोष चाहते है। इसलिए प्रतिदावाकर्तागण का प्रतिदावा डिकी किये जाने योग्य है।

– :: आदेश ::–

" अतः वाद वादीगण खारीज कर प्रतिदावाकर्तागण का प्रतिदावा इस प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम नावता स्थित भूमि हाल ख0 न0 642, 644, 645 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है. में प्रति. स. 12 व 13 प्रतिदावाकर्तागण को 1/2 दर हिस्सा 1/5 हिस्सा तथा प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 ल0 21 को 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 1/ 5 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा 3/ 20 दर हिस्सा 1/5 + 1/2 दर हिस्सा 1/5 का खातेदार कास्तकार दावे के प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 लगा0 21 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर अर्थात 13/ 50 में से प्रति0 स0 12 व 13 को 1/2 तथा प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 ल0 21 को 1/2 का खातेदार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 5/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 170/2017 जीसीएमएस नम्बर :– 2017/00216

औमप्रकाश **बनाम** ब्रहम्प्रकाश आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा।
प्रतिदावा – घोषणात्मक ,खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री विकास कुमार शेखावत एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" अतः वाद वादीगण खारीज कर प्रतिदावाकर्तागण का प्रतिदावा इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम नावता स्थित भूमि हाल ख0 न0 642, 644, 645 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है. में प्रति. सं. 12 व 13 प्रतिदावाकर्तागण को 1/2 दर हिस्सा 1/5 हिस्सा तथा प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 ल0 21 को 1/2 हिस्सा दर हिस्सा 1/ 5 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा 3/ 20 दर हिस्सा 1/5 + 1/2 दर हिस्सा 1/5 का खातेदार कास्तकार दावे के प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 लगा0 21 को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर अर्थात 13/ 50 में से प्रति0 स0 12 व 13 को 1/2 तथा प्रति0 स0 14 व 15 के वारिसान व प्रति0 स0 16 तथा 18 ल0 21 को 1/2 का खातेदार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 5/5/25 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय की मोहर लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:09:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)